केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
Central Sericultural Research & Training Institute
केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार
CENTRAL SILK BOARD, Ministry of Textiles, Govt. of India
बहरमपुर/Berhampore – 742101, मुर्शिदाबाद जिला/Murshidabad Dist.
पश्चिम बंगाल/ West Bengal, भारत/India

दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 137वीं बैठक की कार्यवृत्त। Minutes of the 137th meeting of the Official Language Implementation Committee held on 07.12.2023.

केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर [प.बं.] की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 137वीं बैठक दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 को संस्थान के निदेशक महोदया, डॉ. जूला एस. नायर की अध्यक्षता में पूर्वाह्न 11.00 बजे संस्थान के सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची अनुलग्नक - "क" में संलग्न है।

The 137th meeting of the Official Language Implementation Committee of Central Sericultural Research and Training Institute, Berhampore [W.B.] was held on 07.12.2023 under the chairmanship of Dr. Jula S.Nair, Director of this Institute at 11.00 a.m. in the meeting room of the Institute.The list of the members present in the meeting is appended at Annexure-A.

प्रारंभ में अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। इस दौरान उनके द्वारा सभी अधिकारियों व पदधारियों से राजभाषा नियमों के सम्यक अनुपालन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। तत्पश्चात, अध्यक्ष महोदया की अनुमति से संस्थान के वरिष्ठ अनुवादक [हिंदी] द्वारा बैठक की कार्यसूची पर मदवार चर्चा प्रारंभ की गई जो निम्नवत है / At the outset, the Chairperson extended warm welcome to all the members present in the meeting. During the course of discussions he made an appeal to all the officers & officials to pay a special attention upon fully compliance of the official language rules. Thereafter, item-wise agenda was taken up for discussion by the Senior Translator (Hindi) of this Institute which is as given below:

मद सं/Item No.1: संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 136वीं बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि / Confirmation of minutes of the 136th meeting of the Official Language Implementation Committee of the Institute.

समिति को यह संसूचित किया गया कि संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 136वीं बैठक की कार्यवृत्त तैयार कर सभी सदस्यों के बीच परिचालित कराए गए। परंतु किसी भी सदस्य से कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। इस दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को सहर्ष आमंत्रित किया गया कि वे पिछली बैठक पर अपनी टिप्पणी व सुझाव, यदि कोई हो, तो प्रस्तुत कर सकते है। अतः कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कार्यवृत्त को पुष्ट माना गया। It was apprised to the committee that copies of minutes of the 136th meeting of the Official Language Implementation Committee of this Institute were circulated among the members but no comments were received. The Chairperson, during the course of discussion gladly invited all the members to offer their comments / suggestions, if any, on the minutes of the last meeting. Since, no comments were received from anyone of the members, minutes was treated as confirmed**.**

मद सं/Item No.2: पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्रवाई। Action taken on the decisions made during the last meeting.

संस्थान में उपलब्ध सभी सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ द्विभाषी में किए जाने पर चर्चा के दौरान यह पाया गया कि संस्थान में उपलब्ध सभी सेवा पंजियों में प्रविष्टियाँ तदनुसार की जा रही है। इसके अतिरिक्त, फार्म, प्रपत्र आदि भी द्विभाषी में तैयार कराकर नियम-11 का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। साथ ही, धारा 3(3) के अन्तर्गत विहित दस्तावेजों को अनिवार्य रुप से द्विभाषी में जारी करते हुए हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब भी

हिंदी में दिए जा रहे है। चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी प्रभागीय प्रमुखों तथा अनुभागीय प्रधानों व प्रभारियों को यह निदेश दिया गया कि वे अपने-अपने अनुभागों में राजभाषा प्रावधानों एवं केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बैंगलूर तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त तत्संबंधी आदेशों व निदेशों का पूर्णरुपेण कार्यान्वयन आगे भी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया जाए तथा इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि राजभाषा नीति के प्रगामी प्रयोग में कोई भी उल्लघंन न होने पाए।

During the course of discussion upon making entries in all service books either in Hindi or in bilingual form, It was observed that necessary entries are being made in Hindi or bilingual form in the service books available at this institute. Further, full compliance of the Official Language Rule-11 has been ensured by preparing all standard forms, Proforma etc. in bilingual form. In addition to this, letters received in Hindi are also replied in Hindi only. The Chairperson, during the course of discussion made an instruction to all the Divisional Heads/In-charges of the section of this Institute to make every possible effort for due compliance of the provisions of Official Language Hindi following the orders/instructions received from Central office, Central Silk Board, Bangalore, Department of Official Language, Ministry of Home affairs. He also added that special attention may be made on the fact that there should not be any violation in progressive use of Official Language Policy.

चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्णय अनुपालनार्थ लिए गए / During the course of discussion following decisions were taken by the chairperson for compliance:

1. धारा 3(3) के अन्तर्गत विहित सभी कागजातों को द्विभाषी में अनिवार्य रुप से जारी किया जाए। / Documents specified under section 3(3) must be issued in Bilingual form only.

   [कार्रवाईः सभी अनुभाग/केन्द्र]

2. यह भी निर्णय लिया गया कि माह जनवरी, 2024 से हिंदी अनुभाग का प्रभार धाग़ाकरण के प्रभारी श्री अरुण कुमार, वैज्ञानिक-बी को सौंप दिया जाए। It was also decided that the charge of Hindi section should be handed over to Mr. Arun Kumar, Scientist-B, in-charge of reeling section, from the month of January, 2024.

   [कार्रवाईः स्थापना अनुभाग]

3. संस्थान के अधीनस्थ केन्द्रों के दौरे पर जा रहे वैज्ञानिकों/अधिकारियों व हिंदी अनुभाग द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रगामी कार्यान्वयन/अनुपालन संबंधी प्रगति की समीक्षा विहित प्रपत्र में अवश्य की जाए। / Scientists/Officers and Hindi Section, visiting the sub-units under the institute, on tours must review the progressive use of Official Language Hindi of the concerned unit(s) and submit the report in the prescribed format.

   [कार्रवाईः हिंदी अनुभाग व संबंधित वैज्ञानिक/अधिकारी]

4. तकनीकी आलेख, पुस्तिका, निवारिणका आदि हिंदी/द्विभाषी में प्रकाशित करने का हर संभव प्रयास किया जाए । Each & every possible effort should be made to publish all the Technical reports, Pamphlets & Brochure etc in Hindi or in bilingual form. [कार्रवाईः सभी अनुभाग]

5. यह भी निर्णय लिया गया कि आगे से संस्थान के हिंदी पत्राचार संबंधी तुलनात्मक प्रगति रिपोर्ट की अनुभागवार समीक्षा की जाए। It was also decided that comparative progress report regarding correspondence of implementation of official language Hindi of this institute should be reviewed section-wise in future.

   [कार्रवाईः हिंदी अनुभाग]

6. राजभाषा हिंदी के अनुप्रयोग व संबंधित विषयों पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन प्रत्येक तिमाही के दौरान किया जाए ताकि राजभाषा प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित हो सके। A Hindi Workshop with regard to uses of Official Language Hindi or allied subjects must be organized for the officials during every quarter to ensure due compliance of the provisions of Official Language.

[कार्रवाईः हिंदी अनुभाग]

7. संस्थान के अधीनस्थ केन्द्रों की हिंदी पत्राचार संबंधी तुलनात्मक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा आगे भी प्रस्तुत किया जाए। Comparative progress report regarding Hindi correspondence made by the nested Units of this Institute should also be placed for the review in the ensuing meeting.

[कार्रवाईः हिंदी अनुभाग]

मद सं/Item No.3: संस्थान के संबद्ध केन्द्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा/Review of the quarterly progress report of this institute:

संस्थान के संबद्ध केन्द्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान यह पाया गया की सभी केन्द्रों में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) तथा नियम-11 का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त, हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब भी हिंदी में दिए जा रहे हैं। चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदया द्वारा यह निदेश दिया गया कि अधीनस्थ केन्द्रों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा अनिवार्य तौर पर किया जाए ताकि सभी केन्द्रों में राजभाषा प्रावधानों का पूर्णरुपेण अनुपालन सुनिश्चित हो सके। While reviewing quarterly report of the nested units of this institute, it was observed that due compliance of the section 3(3), Rule-11 of the Official Language Act has been ensured at all the sub-units. Further, letters received in Hindi are also being replied in Hindi only. The Chairperson, during the course of discussion made an instruction that quarterly progress report of each and every nested unit should invariably be reviewed so that full compliance of the provisions of Official Language may be ensured at all the nested units of the Institute.

[कार्रवाईः सभी अधीनस्थ केन्द्र/हिंदी अनुभाग]

मद सं/Item No.4: अध्यक्ष महोदया की अनुमति से कोई अन्य विषयः/Any other subject with the permission of the chairperson.

संघ की राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम, 2023-2024 में निहित प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3), नियम-5 सहित संसदीय राजभषा समिति के निरीक्षण प्रश्नावली में उल्लेखित विविध मदों के पूर्णरुपेण कार्यान्वयन पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी अनुभागीय प्रधानों/प्रभारियों को अपने-अपने अनुभागों में उक्त प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई। The Chairperson, while making discussion upon full implementation of the provisions contained in "Annual Programmee, 2023-24" for transacting the official work of the union in Hindi, Section 3(3), Rule-5 along with various items mentioned in the questionnaire of Committee of Parliament on Official Language advised to all the sectional Heads/In-charges to take necessary steps to ensure effective compliance of the said provisions in their sections.

[कार्रवाईः सभी संबंधित/हिंदी अनुभाग]

तत्पश्चात, अध्यक्ष महोदया के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए बैठक के समापन की घोषणा की गई। / Thereafter, meeting concluded with a vote of thanks to the chair.

[डॉ. जूला एस. नायर
Dr. Jula S. Nair]
निदेशक/Director

अनुलग्नक “क”/ Annexure-A

दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 **को आयोजित संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 137 वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची/ List of members present in the 137th meeting of the Official Language Implementation Committee of the Institute held on 07.12.2023**.

क्र.सं Sl.No.	**नाम/Name**	**पदनाम/Designation**	
1.	डॉ. जूला एस. नायर / Dr. Jula S. Nair	निदेशक / Director	अध्यक्ष/Chairman
2.	डॉ. जी श्रीनिवास / Dr. G Sriniwas	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
3.	डॉ. दीपेश पंडित / Dr. Dipesh Pandit	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
4.	डॉ. ए. आर. प्रदीप / Dr. A. R. pradeep	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
5.	डॉ. शतदल चक्रवर्ती / Dr. S. Chakraborty	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
6.	श्री प्राणेश कुमार प्रसाद / Shri P. K. Prasad	उपनिदेशक [कं] / DD [Comp]	सदस्य/Member
7.	डॉ. पूजा मकवाना / Dr. Pooja Makwana	वैज्ञानिक- सी/ Sc.-C	सदस्य/Member
8.	डॉ. राहुल के / Dr Rahul K	वैज्ञानिक- सी/ Sc.-C	सदस्य/Member
9.	डॉ. दीपिका कुमार उमेश/ Dr. Deepika K Umesh	वैज्ञानिक- सी/ Sc.-C	सदस्य/Member
10.	श्री सोहन लाल साहू / Shri S L Sahu	सहायक निदे. [प्रवले] / AD [A&A]	सदस्य/Member
11.	श्री असीम रायचौधुरी / Shri A Roychodhuri	सहायक निदे. [प्रवले] / AD [A&A]	सदस्य/Member
12.	श्री खेमराज निषाद / Shri K Nishad	सहायक निदे. [प्रवले] / AD [A&A]	सदस्य/Member
13.	श्री अरुण कुमार / Shri Arun Kumar	वैज्ञानिक- बी/ Sc.-B	सदस्य/Member
14.	डॉ. ओशिन / Dr. Oshin	वैज्ञानिक- बी/ Sc.-B	सदस्य/Member
15.	श्री चंदन कुमार साव / Shri Chandan Kumar Shaw	वरिष्ठ अनुवादक [हिंदी] / Sr. Tr. [Hindi]	संयोजक / Convenor
16.	श्री अभिजीत साहा / Shri Abhijit Saha	कनिष्ठ अभियंता / Junior Eng.	सदस्य/Member
17.	श्री बिपद कर्मकार / Shri Bipad Karmakar	व.त.स. / S.T.A.	सदस्य/Member